YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2715547, 2715538 E-mail: modelschoolest@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प / जय / एम.एस. / स्कूल बैंड प्रतियोगिता–222 / 13817 दिनांक : 18-8-20

बैण्ड प्रतियोगिता दिशा–निर्देश : सत्र 2020–21

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीएबी, 2020–21 में बैण्ड प्रतियोगिता हेतु राशि 5 लाख एक मुश्त स्वीकृत किये गये है। इस प्रतियोगिता का अयोजन कलस्टर स्तर,, राज्य स्तर व जोन स्तर पर किया जायेगा। विभिन्न स्तरों पर करवायी जाने वाली इस प्रतियोगिता हेतु दिशा–निर्देश निम्न प्रकार है :–

क्लस्टर स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन

1. प्रतियोगिता में प्रत्येक मॉडल विद्यालय से 25 छात्र / छात्रा वर्ग की केवल एक ही टीम भाग ले सकेगी।
2. प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम में 25 प्रतिभागी बैण्ड प्रतियोगिता के 25 उपकरणों सहित उपस्थित होने अनिवार्य है।
3. बैण्ड प्रतियोगिता में भाग लेनी वाली प्रत्येक टीम के साथ दो अध्यापक / अध्यापिका टीम प्रभारी के रूप में उपस्थित होंगे।
4. प्रत्येक स्तर पर बैण्ड प्रतियोगिता की थीम देश भक्ति गीत, लोक गीत या शास्त्रीय धुन होगी।
5. बैण्ड प्रतियोगिता में बैण्ड वादन की अवधि 7 मिनट होगी।
6. बैण्ड प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम को विद्यालय स्तर पर निर्धारित बैण्ड गणवेश में उपस्थित होना अनिवार्य है।
7. बैण्ड प्रतियोगिता में छात्र तथा छात्राओं की पृथक–पृथक टीम होगी। किसी भी स्थिति में छात्र / छात्राओं की मिश्रित टीम नहीं होगी।
8. कलस्टर स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतियोगता स्थल पर निर्णायक के रूप में पुलिस के अधिकारी / कार्मिक आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे।
9. कलस्टर स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में मॉडल विद्यालय कलस्टर के समस्त विद्यालयों को भाग लेना अनिवार्य होगा।
10. कलस्टर स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतियोगिता स्थल का चयन कलस्टर स्तर के समस्त संस्था प्रधानों की सहमति से किया जायेगा।
11. कलस्टर स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता को भव्य बनाये जाने हेतु भामाशाह / दानदाता का सहयोग लिया जाये ।
12. कलस्टर स्तर पर बैण्ड प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम आयोजित स्थल पर रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 1000 / – रुपये जमा करवायेगी। यह राशि विद्यालय के गतिविधि मद से दी जायेगी।
13. कलस्टर स्तर पर छात्र वर्ग की प्रतियोगिता छात्र वर्ग के साथ एवं छात्रा वर्ग की प्रतियोगिता छात्रा वर्ग के साथ ही आयोजित की जायेगी।
14. कलस्टर स्तर पर छात्र व छात्रा वर्ग की अलग–अलग विजेता टीम घोषित की जाएगी।
15. कलस्टर स्तर पर विजेता छात्र / छात्रा की टीम राज्य स्तर पर आयोजित बैण्ड प्रतियोगिता में भाग लेगी।
16. कलस्टर स्तर पर आयोजित होने वाले बैण्ड प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तर से कोई राशि का प्रावधान नहीं है। कलस्टर स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता का समस्त व्यय प्रतिभागी विद्यालयों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

राज्य स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन

1. राज्य स्तर की बैण्ड प्रतियोगिता का आयोजन स्थल राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
2. राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के निर्णायक दल में कम से कम तीन सदस्य होने अनिवार्य है तथा ये तीनों ही सदस्य पुलिस के अधिकारी/कार्मिक होंगे।
3. राज्य स्तर पर बैण्ड वादन की अधिकतम अवधि 7 मिनट की होगी तथा सम्पूर्ण टीम को निर्धारित गणवेश में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
4. राज्य स्तर पर बैण्ड प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम आयोजित स्थल पर रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 1500/– रुपये जमा करवायेगी। यह राशि भी विद्यालय के गतिविधि मद से दी जायेगी।
5. राज्य स्तर पर बैण्ड प्रतियोगिता की छात्र/छात्रा वर्ग की अलग–अलग प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी तथा अलग–अलग ही विजेता घोषित किये जायेंगे।
6. राज्य स्तर पर भाग लेने वाली प्रत्येक टीम के प्रत्येक सदस्य को 400/– रुपये के हिसाब से भोजन, नाश्ता एवं आवास हेतु राशि प्रदान की जायेगी। यह राशि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा सम्बन्धित आयोजक विद्यालय को दी जायेगी। (एक टीम में 2 शिक्षक एवं 25 विद्यार्थियों सहित अधिकतम 27 सदस्यों को ही राशि देय होगी)
7. राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली बैण्ड प्रतियोगिता हेतु संबंधित जिलो से भाग लेने वाली मॉडल स्कूल टीम के आवागमन का व्यय जिला एमएमईआर मद से व्यय किया जा सकेगा।

बैंड प्रतियोगिता हेतु व्यय विवरण : 2020–21

क्र.सं.	प्रतियोगिता स्तर	व्यय हेतु राशि रूपये में	वि.वि.	समय सीमा
1.	क्लस्टर स्तर	–	–	अक्टूबर,2020
2.	राज्य स्तर	13X27 X400=1,40,400/- एवं आयोजक विद्यालय को भोजन, कुर्सी–टेबल, साज–सज्जा, पुरस्कार एवं अन्य विविध खर्चो के लिए अतिरिक्त रू 59,600/– एक मुश्त देय ।	13(क्लस्टर)X27(छात्र–शिक्षक)X400 रू (भोजन, नाश्ता एवं आवास हेतु)	नवम्बर 2020
3.	राज्य स्तर पर विजेता टीम–02 (छात्र व छात्रा)	1x25000=25000 1x25000=25000 Total = 50000	राज्य स्तर पर छात्र व छात्रा वर्ग से विजेता टीम को जोनल व राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए	दिसम्बर, 2020
4	राज्य स्तर पर विजेता टीम–02 (छात्र व छात्रा)	1x25000=25000 1x25000=25000 Total = 50000	राज्य स्तर पर छात्र व छात्रा वर्ग से विजेता टीम को जोनल व राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पोशाक प्रदान करने के लिए	दिसम्बर, 2020
5	राज्य स्तर पर बैण्ड क्रय	2,00,000	1 सैट बैण्ड राज्य परियोजना निदेशक/आरएससीईआरटी/सीमेट कार्यालय हेतु क्रय किया जाना है ।	जनवरी, 2020
		कुल राशि रू 5,00,000/–		

राज्य स्तर पर व्यय विवरण

राज्य स्तर पर प्रतियोगिता हेतु उपरोक्त सारणी के अतिरिक्त दिशा–निर्देश में दिये गये अनुसार आयोजन कर्ता विद्यालय को रू 1500/– क्लस्टर स्तर से चयनित प्रत्येक टीम से रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में प्राप्त होंगे । इसके अतिरिक्त आयोजक विद्यालय को रू 59,600/–एक मुश्त देय होंगे। जिन्हें निम्नानुसार व्यय किया जाना है :–

आयोजक विद्यालय हेतु प्राप्त राशि का विवरण

क्र.सं.	विवरण	राशि	विशेष विवरण
(अ)	रजिस्ट्रेशन शुल्क	1500 X 13 = 19500/–	
(ब)	पीएबी 2020–21 से (आयोजक विद्यालय को कुर्सी, टेबल, साज–सज्जा, पुरस्कार एवं विविध खर्चो हेतु)	59,600/–	
(स)	पीएबी 2020–21 से (आयोजक विद्यालय को प्रतिभागियों के भोजन, नाश्ता एवं आवास हेतु)	1,40,400/–	
	योग	2,19,500/–	

व्यय हेतु राशि विवरण

(संभागियों की संख्या 27 X 13 = 351 व आयोजक स्थल के अन्य कार्मिक, दानदाता एवं भामाशाह सहित लगभग 400 व्यक्ति)

क्र.सं.	विवरण	राशि रू. में	विशेष विवरण
(अ)	भोजन, नाश्ता एवं आवास	80 X 400 = 32,000/–	
(ब)	साउण्ड, टैंट, कुर्सी, टेबल एव साजसज्जा इत्यादि	25,000/–	
(स)	पुरूस्कार	60 X 200 = 12,000/–	
(द)	अन्य विविध व्यय	10,100/–	
(य)	(आयोजक विद्यालय को प्रतिभागियों के भोजन, नाश्ता एवं आवास हेतु)	(13(क्लस्टर)X27(छात्र–शिक्षक)X400रू) = 1,40,400/–	
	कुल योग	2,19,500	

नोट :–

1. उक्त राशि का उपयोग जी.एफ. एंड आर. के नियमानुसार कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।
2. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। व्यय उसी मद में ही किया जावे।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देश, एमएचआरडी की गाईडलाईन एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पूर्व पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

17/08/2020

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

5

3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, समसा, जयपुर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, समसा, जयपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समसा समस्त जिले।
6. अति. जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले।
7. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2715547, 2715538 E-mail: modelschoolest@gmail.com

बैण्ड प्रतियोगिता 2020–21

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

क्र०सं०	मॉडल विद्यालय का नाम	जारी राशि	उपयोग की गई राशि	अवशेष राशि	विशेष विवरण

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान